

1.4(4) प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- स्यांरी
तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.1575 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~भूत~~ द्वारा दिनांक...12/06/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~स्यांरी~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ह०/-

ग्राम सचिव

जनपद-रुद्रप्रयाग



नोट :-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०

दिनांक 12/06/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत 2-थार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
श्रीमति	सुखदेव पन्त	
	प्रकाश जोशी	
	चारी देवी	
	किरी राम	
	योगिता देवी	
श्रीमति	रीना देवी	
	शुभला लाल	
	राजेश लाल	
	दयाल लाल	
	विहारी लाल	
श्रीमति	सुरेश लाल	
	सुशीला देवी	
	महावीर लाल	
श्रीमति	चमन लाल	
	शान्ती देवी	
	रामभूषण	
श्रीमति	मनमोहन	
	राजेश्वरी देवी	
श्रीमति	गुडरी देवी	
श्रीमति	सुनीता देवी	
श्रीमति	सुन्दरी देवी	
"	संजु देवी	

संलग्न है।

ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी

ह0/-
ग्राम प्रधान



नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र 1.9

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी० के निर्माण हेतु जो नाप भूमि अर्जित की जानी है, उस हेतु हम नापभूमिधरों को कोई आपत्ति नहीं है तथा हम अपनी भूमि विभागीय दरों पर देने हेतु सहर्ष सहमत हैं।

क्र० सं०	भूमिधरों का नाम	खसरा नं०	अर्जित की जानी वाली भूमि का क्षेत्रफल है० में०	हस्ताक्षर
6/12	लाली प्रसाद	1015/1540	0.013+0.006	लाली
0/14	राजेश पंत	1016	0.015	
	सुखदेव पंत	1477	0.070	Sukdev
	किशोरी लाल	1479/1480	0.023+0.078	किशोरी लाल
	धनानन्द जाशी	1455	0.035	
	अजेश शर्मा	1460	0.044	
	महेश देव	1454	0.033	
	खिमानन्द आर्य	1478/1023	0.024/0.072	खिमानन्द
	शंभू प्रसाद	1024	0.073	शंभू
		4		

15
हस्ताक्षर

राजस्व उपनिरीक्षक

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 25/06/18 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान रकीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

नाम भूमिधर

नाम—

हस्ताक्षर

1. हरप्रकाश
2. हरी प्रकाश
3. मोहन प्रकाश
4. पुष्पा
5. सुशोभा देवी
6. रुक्मिणी देवी
7. पुष्पा
8. राकेश लाल
9. इशिका
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

हरप्रकाश
हरी प्रकाश
मोहन प्रकाश
पुष्पा
सुशोभा देवी
रुक्मिणी देवी
पुष्पा
राकेश लाल
इशिका
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ह० पटवारी / मोहर

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal, I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date **15.6.19...** at time **11.00 am**.....at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **0.1575 hect** for the **Construction of Tilwara Bhardary Syari to Syari village Motor Road under District Sector (1.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:..15.6.19...


**Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag**

FORM-1**1.6**
(for linear projects)**Government of Uttarakhand**
Office of the District Collector Rudraprayag

No---65

Dated-18/07/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.1575 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Tilwara Bhardar Syari to Syari Village Motor road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Syari gaon** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
(Full name and official seal of the District Collector)


**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal, I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date **15.6.19**... at time **11.00 am**.....at **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring **0.1575** hect for the **Construction of Tilwara Bhardary Syari to Syari village Motor Road under District Sector (1.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 15.6.19...


Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag